रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या /2019 उदयसिंह बनाम राज्य

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा आर्म्स अपील संख्या 04/2018 उदय सिंह बनाम राज्य को दिनांक 9.7.2019 को अपीलान्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिये जाने पर दिनांक 22.08.2019 को न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को ही दौराने बहस दोहराया।

हमने प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा की गई बहस पर मनन किया।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि यानि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के उपरान्त यानि 45 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरानत न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त आदेश दिनांक की आदेशिका की प्रति प्राप्त करने हेतु कार्यालय में नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 30.7.2019 को प्रस्तुत किया तथा दिनांक 1.8.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की है अतः आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगे एक दिन के समय का लाभ भी दे दिया जावे तो भी यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है एवं रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विलम्ब को कन्डोन करने हेतु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं की है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को मियाद बाहर प्रस्तुत करने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर बाद निर्णय फैसल शुमार किया जाता है।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर